

आया।
गो के आदेश पर 27
ता सूची की आपत्तियों
जाएगी। 10 अप्रैल को
सूची प्रकाशित होगी।
ने अब तक 7.64
ओं को नोटिस जारी
हजारों की संख्या में
न सदर, जीआइसी
अन्य सुनवाई केंद्रों में

आयोजित कार्यक्रम में बीएलओ को
सम्मानित करेंगे। शाम साढ़े चार बजे
से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को
लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। उधर,
बुधवार को प्रशासनिक अफसरों ने
केंद्रों का निरीक्षण किया। मतदाताओं
के लिए पीने के पानी सहित अन्य
इंतजाम की जानकारी ली। डीएम
अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने अधिकारियों
के साथ विभागीय बैठक भी की।

अशोक *****22414, रांची

अतुल *****07268, इटावा

रूपेश *****50776, फरीदाबाद

पल्लवी *****34308, गुड़गांव

शिखा *****53368, लखनऊ

राघवेंद्र *****83614, हाथरस

सोनी *****91901, बरेली

मो. रईस *****92816, देवबंद

विजेताओं को हार्दिक बधाई

विजेताओं को दैनिक जागरण टीम द्वारा संपर्क किया जाएगा

पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !



punjab national bank
...the name you can BANK upon!

मण्डल कार्यालय इटावा,
ई-मेल cs8223@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी प्रक्रिया से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है", "जहाँ है जो है" और "जो भी हो" के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नहीं) निम्नानुसार है।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

नोटल अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी, मण्डल कार्यालय इटावा,

क्र. सं.	शाखा का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम(बंधक सम्पत्ति/यां (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ) डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002	अ)आरक्षित मूल्य
	खाते का विवरण		ब) बकाया राशि	ब)धरोहर धनराशि
	उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता		स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002	स) वृद्धिशील बिड धनराशि
			द)कब्जा का प्रकार	

ई-नीलामी की तिथि व समय 17.03.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक, धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 17.03.2026

1	शाखा-मैनपुरी मेन मैनपुरी (034800) उधारकर्ता/जमानतकर्ता/बंधककर्ता- (1) मैसर्स जय मों वैष्णो ब्रिक फील्ड, प्रो० श्री अमित चौहान (2)श्री अमित चौहान (3)श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री सुनील कुमार (जमानतकर्ता)	आवासीय भवन क्षेत्रफल- 74.40 वर्ग मी. स्थित मौजा मैनपुरी, न्यू जेल रोड, मैनपुरी, पंजीकृत विक्रय अभिलेख दिनांक 02.06.2012 को बही नं. 1, क्र सं० 4168 जिल्द नं. 4556, पृष्ठ 271-292 को उपनिबंधक मैनपुरी में श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री सुनील कुमार के नाम पंजीकृत है। चौहददो पूरब-शैलेंद्र सिंह का प्लॉट, पश्चिम- शैलेंद्र सिंह का प्लॉट, उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण- 15 फीट रास्ता। (Property ID:PUNB0348JMVBRFLD)	अ) 24.12.2019 ब) रु. 9.87,564.61 + ब्याज दि- 30.09.2019 से प्रभावी एवं अन्य खर्चें स)07.12.2020 द) सांकेतिक कब्जा	अ) रु. 24.39 लाख ब) रु. 2.44 लाख स)रु. 10,000/-
---	--	--	--	---

नोट प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण : कोई अधिभार ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें- बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्तों की पुष्टिकरण के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसा है", "जहाँ है जो है" और "जो भी हो" के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नहीं होगा। 3. सभी आवश्यक बिल/सरकारी शुल्क यानी टेलीफोन, बिजली, हाउस टैक्स आदि यदि कोई शेष हो तो, नीलामी क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। 4. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ईनीलामी प्लेटफार्म वेबसाइट <https://baanknet.com> पर की जायेगी। 5. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/जमानतकर्ताओं हेतु वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक 26.02.2026 स्थान: इटावा

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार